

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 273]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2013—आषाढ़ 4, शक 1935

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जून, 2013 (आषाढ़ 1, 1935)

क्र. 13414-वि.स.-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय सेवा अधिनियम, 1981 सहपठित सचिवालय (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 1990 के नियम-18 (ख) के अनुसरण में विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तों संबंधी नियमों के पुनरीक्षण करने तथा आनुषंगिक विषयों का परीक्षण करने हेतु माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित विधान सभा सदस्यों की विशिष्ट समिति का गठन किया गया है :—

- (1) श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा
- (2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश शासन
- (3) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश शासन
- (4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, विधान सभा
- (5) श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य, विधान सभा
- (6) श्री अलकेश आर्य, सदस्य, विधान सभा
- (7) श्रीमती नीता पटेलिया, सदस्य, विधान सभा
- (8) श्री शरद जैन, सदस्य, विधान सभा
- (9) श्री सत्यनारायण पटेल, सदस्य, विधान सभा.

श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा इस समिति के सभापति एवं श्री राजकुमार पांडे, प्रमुख सचिव, विधान सभा इस समिति के पदेन सचिव होंगे.

समिति अपनी कार्य प्रणाली स्वयं निर्धारित करेगी और ऐसी जानकारी तथा साक्ष्य प्राप्त करेगी जो वह आवश्यक समझे. विधान सभा सचिवालय ऐसी सभी जानकारियां, दस्तावेज तथा अन्य सहायता समिति को प्रदान करेगा जिसकी समिति मांग करेगी.

समिति द्वारा अपनी सिफारिशें प्रतिवेदन के रूप में यथाशीघ्र माननीय अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा को प्रस्तुत की जावेंगी.

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.